

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 322] No. 322] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2012/आषाइ 12, 1934 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2012/ASADHA 12, 1934

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 527(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियम 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 के उपनियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- "5. जहां कोई सम्मिलित काडर के राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी वेतन बैंड-3 या वेतन बैंड-4 में किसी विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन में लागू किसी विशिष्ट ग्रेड में केन्द्र पर नियुक्त है, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (संमूह क) सेवा के बैच के अधिकारियों को जो दो या अधिक वर्ष ज्येष्ठ हैं और उक्त विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नत नहीं हुए हैं उक्त विशिष्ट ग्रेड में अनुसूची 3 के भाग (ग) के अनुसरण में गठित छानबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर समय समय पर यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज़ा. सं.14017/64/2008-स्था. (आरआर) तारीख 24 अग्रैल, 2009 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती की तारीख से अकृत्यकारी आधार पर समान ग्रेड प्रदत्त होगा।"।

1

- 3. उक्त नियम की अनुसूची ा भें -
- (क) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 2 के स्थान षर निम्नालिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-"ज्येष्ठ काल वेकनमान (शैरकृत्वकारी दिवीय श्रेणी)";
- (ख) क्रम संख्यांक 1 से 5 के सामने स्तंम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	"वेतन बैंड और ग्रेड वेतन /वेतनमान
स्तंभ (१)	(5)
1.	वेतन बैंड-4 37400-67000 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 10,000/-रुपए
2.	वेतन बैंड-4 37400-67000 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 8,700-रुपए
3.	वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 7,600/-रुपए
4.	वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 6,600/-रुपए
5.	वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए के साथ ग्रेड वेतन 5,400 /-रुपए",

- 4. उक्त नियम में, अनुसूची 2 में, भाग क में ,-
- (क) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के स्तंभ 4 में उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"ऐसा निदेशक (इंजीनियरी) /अधीक्षण इंजीनियर/सिस्टम इंजीनियर (वेतन बैंड- 4, 8,700 रुपए के ग्रेड वेतन में) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा या जिन्होंने सेवा में समूह क पद पर 17 वर्ष की नियमित सेवा की है जिसमें से वेतन बैंड -4, 8700 रुपए के ग्रेड वेतन में कम से कम एक वर्ष नियमित सेवा की है और तीन वर्ष का अनुभव या सेवा के किसी श्रेणी में अन्वेषण का तीन वर्ष का अनुभव हो:

परंतु 21 अगस्त, 1990 (अर्थात् अब अधिक्रांत किए गए केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा नियम 1990 की अधिसूचना की तारीख) से पूर्व सेवा में नियुक्ति सेवा के सदस्यों के लिए क्षेत्र अनुभव या अन्वेषण का अनुभव की अपेक्षा सेवा की किसी श्रेणी में दो वर्ष की होगी ";

(ख) क्रम संख्यांक 2 क. किनष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के स्तंम 4 में उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"ऐसा उप निदेशक (इंजीनियरी) /कार्यपालक इंजीनियर/सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड/ सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय बोर्ड/पर्ट विश्लेषक/ज्येष्ठ आंकडा विश्लेषक/उपनिदेशक (संपादक) /उप सिस्टम इंजीनियर जिन्होंने सेवा में समूह क पद पर 13 वर्ष की नियमित सेवा की है और ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत गैर कृत्यकारी द्वितीय श्रेणी या ग्रेड में 9 वर्ष की नियमित सेवा सम्मिलित है यदि कोई हो, सेवा में ज्येष्ठ वेतनकालन के लिए गैर कृत्यकारी द्वितीय श्रेणी की सेवा भी है।";

(ग) क्रम संख्यांक ा, स्तंभ (5) मद संख्यांक (क) (ii) में "16400-20000रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "8,900 रुपए के क्रेंड वेतन के साथ 37400-67000 के वेतन वैंड-4" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

- (घ) क्रम संख्यांक 1, स्तंभ (5)मद संख्यांक (क) (iii) में "14300-18300रुपए" अंको और शब्दों के स्थान पर "8,700 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 के वेतन बैंड-4" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ङ) क्रम संख्यांक 2, स्तंभ (5) मद संख्यांक (क) (ii) में "12000-16500रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "7,600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 के वेतन बैंड-3" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (च) क्रम संख्यांक 4, स्तंभ (5) मद संख्यांक (क) (ii) में "8000-13500रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "5,400 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 के वेतन बैंड-3" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (छ) क्रम संख्यांक 5, स्तंभ (5) मद संख्यांक (क) (ii) में "7500-12000रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "4.800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 के वेतन बैंड-2" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- 5. उक्त नियम की अनुसूची 3 में भाग ख के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"भाग गः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं.14017/64/2008-स्था. (आस्आर) तारीख 24 अप्रैल, 2009 के निबंधन में गैर कृत्यकारी उन्नतिकरण प्रदान करने को विचार करने के लिए छानबीन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:-

- (i) सचिव, विद्युत मंत्रालय-अध्यक्ष
- (ii) अपर सचिव, विद्युतं मंत्रालय-सदस्य
- (iii) सदस्य, केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय-सदस्य

टिप्पण : छानबीन समिति के सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की उपस्थिति से समिति की कार्यवाहियां यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उस बैठक में उपस्थित होते हैं, अविधिमान नहीं होंगी"।

[फा. सं. 12018/1/2009-प्रशा. [] मधुकर सूद, अवर सचिव

पाद टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. सं. 243 (अ), तारीख 21 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित किए गए थे और शुद्धिपत्र सा.का.नि. सं. 425 (अ), तारीख 24जून, 2005 में प्रकाशित किया गया था। इन नियमों का प्रथम संशोधन सा.का.नि. सं. 295 (अ), तारीख 16 अप्रैल, 2007 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2012

G.S.R. 527(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Power Engineering (Group "A") Service Rules, 2005, namely:-

- 1. (1) These Rules may be called the Central Power Engineering (Group "A") Service (Amendment) Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official gazette.
- 2. In the Central Power Engineering (Group "A") Service Rules, 2005 (hereinafter called as the said rules), in rule 7, after sub-rule (4), following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(5) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State of Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band-3 or Pay Band-4, the officers belonging to the batches of Central Power Engineering (Group "A") Service that are senior by two years or more and have not been promoted to that particular grade would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officers in that particular grade at Centre in accordance with provisions contained in the Department of Personnel and Training's O.M. No. AB.14017/64/2008-Estt.(RR) dated 24th April, 2009 as amended from time to time on the basis of the recommendations of the Screening Committee to be constituted in accordance with Part (C) of Schedule III".
- 3. In the said rules, in Schedule I,
- (a) against Sl. No 3, for column (2), the following shall be substituted, namely:"Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade)";
- (b) against Sl. Nos 1 to 5, for column (5), the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	"Pay Band and Grade Pay/Pay Scale
Col.(1)	(5)
1.	Pay Band - 4 Rs. 37400-67000 with Grade Pay Rs. 10,000/-
2.	Pay Band - 4 Rs. 37400-67000 with Grade Pay Rs. 8,700/-
3.	Pay Band - 3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 7,600/-
4.	Pay Band - 3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 6,600/-
5.	Pay Band - 3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 5,400/-";

- 4. In the said rules, in Schedule II, in Part A,-
- (a) at Sl. No. 1 relating to Senior Administrative Grade, in column (4) for the entry relating thereto, the following entry shall be substituted, namely:-

"Director (Engineering)/ Superintending Engineer / System Engineer (PB-4 Grade Pay of Rs.8,700/-) with three years regular service in the grade or officers with seventeen years regular service in Group A posts in the service out of which atleast one year regular service should be in the PB-4 Grade Pay of Rs.8,700/-, possessing three years field experience or three years experience of investigation in any grade of the service.

Provided that for the members of the Service appointed to the Service prior to 21st August, 1990 (i.e. the date of notification of the now superseded Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 1990), the requirement of field experience or experience of investigation shall be two years in any grade of the service.";

(b) at St. No. 2 relating to Junior Administrative Grade, in column (4) for the entry relating thereto, the following entry shall be substituted, namely:

"Deputy Director (Engineering) /Executive Engineer/Assistant Secretary, Regional Electricity Board/Secretary, North Eastern Regional Electricity Board/Pert Analyst /Senior Data Analyst/Deputy Director (Editor)/ Deputy System Engineer who have completed thirteen years regular service in Group A posts in the service and regular service of four years in the grade including the service rendered in the Non-Functional Second Grade or nine years of regular service in the grade including regular service, if any, rendered in the Non-Functional Second Grade for Senior Time Scale of service.";

- (c) at Sl.No.1, in column (5), in item (a)(ii) for the words and figures "Rs.16400-20000", the words and figures "Pay Band 4 of Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8,900/-" shall be substituted;
- (d) at \$1. No.1, in column (5), in item (a)(iii) for the words and figures "Rs.14300-18300", the words and figures "Pay Band 4 of Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8,700/-" shall be substituted;
- (e) at Sl. No.2, in column (5), in item (a)(ii) for the words and figures "Rs.12000-16500", the words and figures "Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7,600/-" shall be substituted;
- (f) at Sl. No.4, in column (5), in item (a)(ii) for the words and figures "Rs.8000-13500", the words and figures "Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5,400/-" shall be substituted;
- (g) at St. No.5, in column (5), in item (a)(ii) for the words and figures "Rs.7500-12000", the words and figures "Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4,800/-" shall be substituted.

5. In the said rules, in Schedule III, after Part B, the following part shall be inserted, namely:-

"Part C: Composition of Screening Committee for considering grant of Non-Functional upgradation in temms of the Department of Personnel and Training' O.M. No. AB.14017/64/2008-Estt. (RR) dated 24th April, 2009 shall be as under:

(i) Secretary, Ministry of Power

Chairman

(ii) Additional Secretary, Ministry of Power

Member

(iii) Member, Central Electricity Authority

Member

Note: The absence of a Member, other than the Chairman of the Screening Committee, shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meeting".

[F. No. 12018/1/2009-Adm. I] MADHUKAR SOOD, Under Secy.

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 243(E) dated the 21st April, 2005 and corrigendum thereto was published vide number G.S.R. 425 (E) dated 24th June, 2005. These rules were first amended vide number G.S.R. 295(E) dated the 16th April, 2007.